प्रेषक,

**मिशन निदेशक,**
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

**संयुक्त निदेशक, क्षय,**
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र सं0: 01–A/RNTCP/NP/2016–17/ 11212 दिनांकः 27/3/2017

**विषय : पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु FMR Code H.10 (Medical College head) में जनपदवार अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके प्रस्ताव पत्र सं0–एसटीसीएस/222/2015–16/123222 दिनांक 23.02.2017 के क्रम में आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 की स्वीकृत अनुपूरक राज्य कार्ययोजना के सापेक्ष जनपद स्तरीय गतिविधि हेतु FMR Code H.10 (Medical College head) में अनुमोदित धनराशि रू0 36.10 लाख जनपदवार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में दिनांक 22.03.2017 को अवमुक्त कर दी गयी है।

2. उपर्युक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग हेतु कार्यक्रम के सुचारू एवं गुणवत्तापरक संचालन हेतु मदवार मानक दर्शाते हुये स्पष्ट एंव विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जनपदों को निर्गत कराने का कष्ट करें। जनपद को प्रेषित की जाने वाले दिशा–निर्देश में निम्नलिखित वित्तीय बिन्दुओं को भी सम्मिलित करवाने का कष्ट करें–

- अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।
- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकी में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

---2

- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट टीम एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

o/c (डा0 ए0के0 पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

11212-2

पत्र सं0: 01–A/RNTCP/NP/2016–17/ तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c (डा0 ए0के0 पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम